



मानव संसाधन प्रबंधन प्रभाग
प्रधान कार्यालय, बड़ौदा
द्वारा जारी

सब/फाइल:पीईआरएस-4

भारत स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों को परिपत्र

प्रिय महोदय,

विषय: फरवरी 2016 से जुलाई 2016 की अवधि तक देय मंहगाई राहत:

- 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को
- 1.1.1986 से पूर्व हमारे बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवी जीवनसाथियों को जिन्हें अनुकंपा प्राप्त हो रही है

जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के निदेशों के अनुरूप 1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों को अनुकंपा आधारित भुगतान प्रदान किया जाना है.

भारतीय बैंक संघ ने हमें सूचित किया है कि **फरवरी 2016 से जुलाई 2016** तक के लिए ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय मंहगाई राहत निम्नानुसार होगी:-

लागू सीपीआई औसत		अनुकंपा आधारित राशि प्रति माह	मंहगाई राहत की दर	मंहगाई राहत की राशि प्रति माह	मंहगाई भत्ता राहत सहित कुल अनुकंपा आधारित राशि प्रति माह
		रु.	%	रु.	रु.
6147	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी	350	928.62	3250	3600
	1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारी के उत्तरजीवी पति/पत्नी	175	928.62	1625	1800

1.1.1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के उत्तरजीवियों, जो आपकी शाखा में ऐसी अनुकंपा आधारित राशि आहरित कर रहे हैं, उन्हें देय मंहगाई राहत में हुए संशोधन को सावधानीपूर्वक नोट करें. हम पुनः दोहराते हैं कि यह राशि म/ब बैंक ऑफ़ बड़ौदा पेंशन भुगतान खाते में नहीं बल्कि आपकी शाखा के लाभ और हानि खाते में नामे की जानी चाहिए.

भवदीय,

ह/-

(आर एन जानी)

उप महाप्रबंधक

(मानव संसाधन परिचालन)



ISSUED BY
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT DIVISION
HEAD OFFICE, BARODA

SUB/FILE: PERS -4

CIRCULAR TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIA

Dear Sir,

Re: Dearness Relief payable for the period from February 2016 to July 2016 to:

- (A) Surviving pre-1.1.1986 retirees of our Bank
- (B) Surviving spouses of pre- 1.1.1986 retirees of our Bank who are in receipt of Ex-gratia.

As you are aware, an ex-gratia payment to surviving pre- 01.01.1986 retirees is being released in terms of the directives from Government of India.

We have been advised by Indian Banks' Association that Dearness Relief payable to such retirees for the period from **February 2016 to July 2016** would be as under:-

Applicable CPI Average		Amount of Ex-gratia per month	Rate of Dearness Relief	Amount of Dearness Relief per month	Total Ex-gratia amount including Dearness Relief per month
		Rs	%	Rs	Rs
6147	Pre 01.01.1986 retirees	350	928.62	3250	3600
	Surviving spouse of pre 01.01.1986 retirees	175	928.62	1625	1800

We request you to please take a careful note of above revision in the Dearness Relief payable to surviving pre- 01.01.1986 retirees who are drawing such ex-gratia amount at your branch. **We reiterate that the amount is to be debited to Profit & Loss Account at your branch and NOT to G/L Bank of Baroda Staff Pension Paid Account.**

Yours faithfully,

Sd/-

(R N Jani)
DEPUTY GENERAL MANAGER
(HR - Operations)